UPUN010017552026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।
जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–756/2026

अंकित पुत्र गंगाधर, निवासी फत्तेपुर, थाना गंगाघाट, जिला उन्नाव।

————अभियुक्त।

प्रति

सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, उन्नाव।

————विपक्षी।

30.03.2026

अभियुक्त अंकित द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–1041/2025, धारा–87,137(2)बी0एन0एस0, थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव में जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि दिनांक 07.12.2025 को वादी दिनेश की अवयस्क पुत्री/पीड़िता को उसके मामा के घर बहद ग्राम मुल्लाह नगर, पतारी थाना कोतवाली, जिला उन्नाव से अंकित पुत्र गंगाघर बहला फुसलाकर भगा ले गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र मे कथन किया गया कि वह निर्दोष है। उसे रंजिशन झूठा फसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। उसने कोई घटना कारित नही की। पीड़िता के बयानो मे विरोधाभाष है। वादी द्वारा इसके पूर्व अ0सं0 188/2025 धारा 87,137(2)बी0एन0एस0 थाना अरवल, जिला हरदोई मे कायम कराया था। जिसमें वह जमानत पर छूटा था कि पुनः यह मुकदमा दर्ज करा दिया। वह दिनांक 16.03..2026 से जिला कारागार मे निरूद्ध है। प्रार्थना पत्र समर्थित शपथ–पत्र में कथन किया गया कि उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके पूर्व कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय मे दिया है और न ही विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है। उक्त आधार पर जमानत प्रदान करने की याचना की गयी।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलबध अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

अभियोजन का तर्क है कि अभियुक्त द्वारा वादी की अवयस्क पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाना बताया गया।

अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि उसे रंजिशन झूठा फसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। उसने कोई घटना कारित नही की। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि घटना दिनांक 07.12.2025 के संबंध में वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11.12.2025 को विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नही किया गया है। केस डायरी पर उपलब्ध शैक्षिक अभिलेखो के अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 09.10.2009 होना अंकित है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 20.02.2026 को डा0दिलीप द्वारा किया गया, जिसमें डाक्टर द्वारा मेडिकल रिपोर्ट पर नो इंजरी सीन आल द बाडी एक्सटर्नल अंकित किया गया। दिनांक 21.02.2026 को डा0 रिचा श्रीवास्तव द्वारा पीड़िता आंतरिक परीक्षण किया गया, जिसमें नो एनी इन्टरनल इंजरी सीन इन प्राइवेट पार्ट एट द टाइम आफ इक्जामिनेशन अंकित है। टू वेजाइनल स्मियर स्लाइड फार डन एनालिसिस, तथा वन वेजाइनल स्वाब फार डीएनए एनालिसिस अंकित किया गया है। जिला चिकित्सालय की आख्या दिनांक 20.02.2026 के अनुसार पीड़िता का PEGNENCY TEST, Negative पाया गया। पीड़िता ने अपने बयान धारा–183बी0एन0एस0एस0 मे कथन किया कि उसकी उम्र 18वर्ष है। अंकित कौन है, वह नही जानती। उसके मम्मी पापा ने झूठा मुकदमा लिखवाया है, हरदोई मे भी

लिखवाया है। वह अपनी मर्जी से गयी थी। उसके साथ कोई गलत काम नही हुआ। वह घर वापस नही जाना चाहती है। उसकी सहजल से इंस्टाग्राम से दोस्ती हुयी, जो लखनऊ मे रहती है। वह सहजल के यहां 11/2 महीना रही, उसे मोहल्ला याद नही है, कौन सा था। सहजल के मम्मी पापा का नाम उसे नही पता, वे उसे छोड़ने आये थे। अभियुक्त दिनांक 16.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

अतः मामले के उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर टीका–टिप्पणी किये बगैर अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पाया जाता है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त अंकित द्वारा अपराध सं0–1041/2025, धारा–87,137(2)बी0एन0एस0, थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव के मामले मे प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–756/2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा मु0–40,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांक–30.03.2026
राकेश/–

(महेन्द्र कुमार सिंह)
आई0डी0नं0–यू0पी0–1776
कृते सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।